Panchayati Raj

उत्तराखण्ड शासन

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना

ग्राम पंचायत विकास योजना

(GPDP)

पंचायतीराज विभाग

उत्तराखण्ड

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना-GPDP)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 छः में पंचायतों द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य से योजनाएं तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। इसी क्रम में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्राम पंचायतों में बढ़े हुए संसाधन हस्तान्तरण के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पंचायतें मूलभूत सेवाएं प्रदान करने में एक जवाबदेह एवं सक्षम स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य क्षमता विकसित करे। ग्राम पंचायत विकास योजना में समुदाय, विशेषकर ग्राम सभा की भागीदारी एवं सक्रियता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना को **"डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना"** नाम दिया है।

योजना की आवश्यकता एवं महत्व

- ✓ स्थानीय स्तर पर अनुभूत आवश्यकताओं का समावेशन
- ✓ स्थानीय क्षमताओं का बेहतर उपयोग
- ✓ स्थानीय जरूरतों व माँग के आधार पर आधारभूत स्तर से अभिसरण हेतु एक प्रचालन प्रणाली अपनाना
- ✓ पंचायत क्षेत्र के भीतर वंचित / छूट गये लोगों तक पहुँच बनाना
- ✓ विभिन्न समूहों की विविधतापूर्ण जरूरतों का ध्यान रखना
- ✓ स्थानीय विकास प्रयासों में लोगों के ज्ञान एवं उनकी बुद्धि का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना
- ✓ नागरिकों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की विकास की समझ बढ़ाना
- ✓ बढ़े हुए स्थानीय संसाधन के संघटन को सुलभ बनाना
- ✓ मितव्ययिता एवं सक्षमता को बढ़ावा देना इत्यादि।

योजना के उद्देश्य एवं अनुमन्य कार्य-

उद्देश्य-

- ✓ निर्धनता में कमी
- ✓ मानव विकास
- ✓ सामाजिक विकास
- ✓ आर्थिक विकास
- ✓ पारिस्थितिकी का विकास
- ✓ लोक सेवा की सुपुर्दगी
- ✓ सुशासन

अनुमन्य कार्य-

- ✓ जल आपूर्ति
- ✓ सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट निपटान / प्रबन्धन
- ✓ सेप्टेज प्रबन्धन, स्वच्छता, जल निकासी

- ✓ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव
- ✓ सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीटलाईट तथा कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रख–रखाव
- ✓ मनरेगा अन्तर्गत सामुदायिक अवसंरचनाएं, पंचायत घर निर्माण इत्यादि
- ✓ आजीविका हेतु परिसम्पत्ति सृजन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन
- ✓ स्थानीय आर्थिक विकास–रोजगार एवं परिसम्पत्ति सृजन।
- ✓ आय सृजन हेतु स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों जैसे हॉट बाजार, गोदाम/भण्डार गृह का निर्माण।
- ✓ पंचायत राज अधिनियम में अनुमन्य कार्य।

ग्राम पंचायत के संसाधनों का निर्धारण

योजना के निर्धारण में संसाधनों (रिसोर्स एनवलप) की भूमिका महत्वपूर्ण है। संसाधन निम्नवत् हैं:–

- ✓ 14वाँ वित्त आयोग
- ✓ राज्य वित्त आयोग
- ✓ मनरेगा
- ✓ स्वच्छ भारत अभियान
- ✓ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- ✓ एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लु.एम.पी.)/जलागम
- ✓ इन्दिरा आवास योजना (IAY)
- ✓ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- ✓ अनुसूचित जाति उप योजना/जनजाति उप योजना
- ✓ पिछड़ा क्षेत्र विकास विभाग की योजनाएं।
- ✓ मेरा गाँव मेरी सड़क योजना
- ✓ चारागाह विकास योजना
- ✓ ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना
- ✓ शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाएं।
- ✓ महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त निधि
- ✓ सांसद निधि
- ✓ विधायक निधि
- ✓ ग्राम पंचायत के स्वयं के राजस्व के स्रोत
- ✓ राष्ट्रीय उद्यानीकरण मिशन
- ✓ सी0एस0आर0 (कारपोरेट सामाजिक दायित्व)

उक्त के अतिरिक्त, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने एवं अपने राजस्व (ओ.एस.आर.) में बढ़ोत्तरी पर ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक रू. 188.28 करोड़ की धनराशि कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में अतिरिक्त तौर पर अवमुक्त की जायेगी।

सहभागी नियोजन के लिए वातावरण निर्माण

पंचायतीराज विभाग की वातावरण निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, यथा–

- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी / रैली का आयोजन, दीवार लेखन– बजट / स्लोगन,पोस्टर स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक / गीत / नुक्कड़ नाटक, एफ.एम. रेडियो, स्थानीय आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
- गणमान्य ग्रामीणों, विभिन्न ग्राम समितियों, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला / युवक मंगल दल, समुदाय आधारित संगठन, व्यावसायिक समूह, स्थानीय संगठन, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य व ग्राम स्तरीय कार्मिकों के साथ बैठक, महत्वपूर्ण संस्थाओं यथा पंचायत घर, विद्यालय, आँगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण।

क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण

ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु विभिन्न स्तरों पर क्षमता विकास एवं प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है, यथा–

- राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन।
- जनपद स्तर पर जिला स्तरीय रेखीय विभागों के अधिकारी, जिला अनुश्रवण समिति एवं ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति के सदस्य, मनरेगा अन्तर्गत कार्यरत परियोजना अधिकारी, अपर परियोजना अधिकारी, अवर अभियन्ता, लगभग 3 राजकीय अधिकारी प्रति विकास खण्ड, लगभग 3 प्रतिनिधि गैर सरकारी संगठन प्रति विकास खण्ड, के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता समूह हेतु क्लस्टरवार तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन, जिसमें प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा के रोजगार सहायक, बी.पी.टी., आँगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा कार्यकत्री, पटवारी, युवक–महिला मंगल दल के सदस्य, कृषक समूह युवा व महिला समूह, स्वयं सहायता समूह के सदस्य सम्मिलित होंगे।

स्थिति विश्लेषण (Situation Analysis)

सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत विश्लेषण करना होगा, यथा–

- ढाँचा या आधारभूत अवस्थापना सुविधाएं–सड़के, रास्ते, पंचायत भवन
- नागरिक सुविधायें–पेयजल, स्वच्छता, तरल एवं ठोस कचरे का प्रबन्ध, गलियों की रोशनी, खेल के मैदान, शमशान घाट / कब्रिस्तान
- मानव विकास–आँगनबाड़ी, पुस्तकालय, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / आशा कार्यकत्री
- आर्थिक विकास और आजीविका–कृषि, स्थानीय उत्पादन, ग्रामीण हाट
- सामाजिक विकास–एस.सी. / एस.टी., शिशु, महिला, वरिष्ठ नागरिक, अक्षम व्यक्ति, आर्थिक / सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग
- प्राकृतिक संसाधन–जल, जंगल, जमीन, लघु संपदा।

इसके लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रयुक्त बेसलाईन सर्वे प्रपत्र आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर प्रयोग में लाये जायेंगे एवं ग्राम पंचायत की रूपरेखा (प्रोफाईल) तथा मौजूदा स्थिति, समस्याओं का विश्लेषण किया जायेगा।

उपरोक्त आधारों पर ग्राम सभा स्वयं परिकल्पना तथा आवश्यकताओं का आंकलन करने में सक्षम हो सकेगी।

परिकल्पना एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण

स्थिति के विश्लेषण उपरान्त अवलोकन करेंगे कि– मूल मानकों पर आधारित ग्राम पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है एवं लम्बी अवधि की जरूरतें क्या हैं? वर्तमान स्थिति, कमियों, अभाव और भविष्य की जरूरतों के आंकलन के पश्चात् निम्न पहचान करते हुए प्राथमिकाओं का निर्धारण किया जायेगा–

- ✓ ढाँचे में कमी
- ✓ सेवाओं में कमी
- ✓ आर्थिक विकास हेतु क्षमता
- ✓ सामाजिक विकास में समस्याएं
- ✓ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध से सम्बन्धित चिन्ताएं

ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन एवं ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्धारण

ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्धारण के लिए ग्राम सभाओं में खुली बैठकें आयोजित की जायेंगी, जिसमें रेखीय विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता/कार्मिक, प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा के रोजगार सहायक, बी.पी.टी., आँगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा कार्यकत्री, पटवारी, युवक–महिला मंगल दल के सदस्य, कृषक समूह युवा व महिला समूह, स्वयं सहायता समूह के सदस्य एवं ग्राम सभा हेतु नामित ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी अनिवार्यतः सम्मिलित होंगे। ग्राम सभा में तैयार प्राथमिकता सूची तथा पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों व सेवाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण की आवश्यकताओं पर चर्चा की जायेगी। तद्नुसार ग्राम पंचायत सेक्टरवार परियोजनाओं पर सम्भावित व्यय का अनुमान करेगी। ग्राम सभा में नियमों के अनुरूप बैठक का कोरम आवश्यक होगा।

ड्रॉफ्ट प्लान की पुष्टि

ग्राम पंचायत समेकित परियोजनाओं के ड्रॉफ्ट प्लान को ग्राम सभा में रखेगी। खुली बैठक में सेक्टरवार संसाधन युक्त प्रत्येक परियोजना पर पुष्टि की कार्यवाही सर्वसम्मति के आधार पर की जायेगी। ड्रॉफ्ट प्लान में सीमित संसाधनों, प्राथमिकता या योजना के आकार में परिवर्तन होने पर ग्राम पंचायत द्वारा उसे पृथक से मय कारण व औचित्य के साथ ग्राम सभा के समक्ष पुष्टि हेतु रखा जायेगा।

ड्रॉफ्ट प्लान का अनुमोदन

ग्राम पंचायत ड्रॉफ्ट प्लान में कुल उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष 125 प्रतिशत तक की सीमा में परियोजनाओं पर अनुमोदन प्रदान करेगी तथा ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवाही में अनुमोदन का अंकन करते हुऐ सेक्टरवार वित्तीय परिव्यय, संसाधन की उपलब्धता, परियोजना की संख्या व आंगणित लागत का उल्लेख करेगी।

तकनीकी प्रबन्ध

ग्राम पंचायत की परियोजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन का गठन अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं, लघु सिंचाई, मनरेगा सेल, जिला पंचायत आदि का सहयोग प्राक्कलन गठन में लिया जायेगा तथा नियमानुसर प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

अधिप्राप्ति एवं भुगतान प्रक्रिया

अधिप्राप्ति एवं भुगतान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं संशोधित नियमावली के अनुरूप एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी। ग्राम पंचायते सामग्री क्रय एवं भुगतान अधिप्राप्ति नियमावली के अनुरूप कोटेशन/टेण्डर के माध्यम से करेंगे।

ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण, नीति नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निम्न समिति/समूह का गठन–

- ✓ राज्य स्तरीय सशक्तीकरण समिति
- ✓ राज्य संसाधन समूह
- ✓ जिला अनुश्रवण समिति
- ✓ जिला संसाधन समूह
- ✓ ब्लॉक समन्वय समिति
- ✓ तकनीकी सहायता समूह

मानव संसाधन प्रबन्ध

ग्राम सचिवालय की भावना के अनुरूप ग्राम स्तरीय कार्मिक निश्चित दिवसों में अनिवार्य रूप से एक साथ ग्राम पंचायत में उपस्थित हो। जिलाधिकारी जनपद स्तर पर रेखीय विभागों से समन्वय कर

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था करेंगे।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत शासन स्तर से निर्गत शासनादेश में योजना निर्माण के महत्वपूर्ण बिन्दु

- ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठकें आयोजित कर अगले 5 वर्षों तक प्राप्त समस्त धनराशि "डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" के ड्रॉफ्ट अनुसार व्यय किया जाना। इस योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण करना।
- पंचायतें खुली बैठक में निम्नलिखित गतिविधियों को अपने ड्रॉफ्ट में विचारार्थ रखेगीः–
  - ग्राम में आय सृजन हेतु स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण।
  - जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सेप्टैज प्रबन्धन, स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीटलाईट तथा कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रख–रखाव।
- पंचायत राज अधिनियम में वर्णित कार्य।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना तथा मनरेगा अन्तर्गत आई.पी.पी.ई. आदि भावी योजना जहाँ पृथक से बनी हो, उन्हें "डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" में सम्मिलित किया जाना।
- "डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना" का ड्रॉफ्ट प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाना।
- ड्रॉफ्ट तैयार करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में एक राजपत्रित अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाना।
- नामित राजपत्रित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास खण्ड स्तर पर तैनात कम से कम एक अधिकारी ग्राम सभा की खुली बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे।
- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम सभा की खुली बैठकों के आयोजन, प्रतिभाग करने वाले सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज करने व बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
- मुख्य विकास अधिकारी भी कम से कम 10 ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में भाग लेकर योजना का ड्रॉफ्ट तैयार करायेंगे।
- मुख्य विकास अधिकारी योजना का संचालन इस प्रकार करेंगे कि विभिन्न ग्राम पंचायतों के ड्रॉफ्ट प्लान में समरूपता हो तथा यथासम्भव 10 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर/समूह अथवा न्याय पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायता समूह के सहयोग से ड्रॉफ्ट प्लान तैयार किया जाय।
- योजना के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन कर साप्ताहिक समीक्षा करना।
- विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति का गठन कर, इसमें सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) समन्वयन के रूप में नामित करना।

निदेशालय पंचायतीराज, (उत्तराखण्ड) डाण्डालखौण्ड,
नियर आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
दूरभाषः 0135–2607855,2607106,2607107,2607108
ई–मेल : director.pr.uk@gmail.com वेबसाईट : www.ukpr.gov.in

आदर्श:0135-2719549